BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada@rediffmail.com Phone: 0612 – 2675352 / 2675991 / फैक्स 2675889

आदेश

बियाडा के निदेशक पर्षद् की 42वीं बैठक में औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्रा में मात्र सेवा प्रक्षेत्र की इकाईयों का भूमि आवंटन/ परियोजना परिवर्त्तन के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गएः–

1. पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रक्षेत्रवार आवंटन निम्न प्रकार से करने का निर्णय लिया गयाः–

Sl.	Activities	% of Land Allotment
1	Manufacturing/ Processing (Including Digital Processing) Unit	Maximum 35%
2	IT Park including ITeS/ Industrial (Manufacturing/ Processing) Park	Maximum 50%
3	Common Logistical Facility	Maximum 10%
4	ITI/ ITC/Industrial Skill Development Centre	Maximum 5%

2. उपरोक्त प्रक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत जो वर्तमान इकाई अपना प्रक्षेत्र परिवर्त्तन करना चाहती है उन्हें पी.सी.सी. की बैठक में समीक्षा के उपरांत प्रक्षेत्र परिवर्त्तन की अनुमति दी जायेगी।
3. अगर कोई पुरानी इकाई उन्हें आवंटित भूमि का अगर कोई पुरानी इकाई उन्हें आवंटित भूमि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक इंडस्ट्रीयल पार्क या आई.टी. पार्क में परिवर्त्तित करना चाहती है तो उन्हें इसकी अनुमति दी जायेगी एवं इसे आई.टी. पार्क एवं इंडस्ट्रीयल पार्क की 20 प्रतिशत अधिसीमा में नहीं माना जायेगा। यह अनुशंसा औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का Optimum उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ऐसे मामलों में उस उद्यमी विशेष को आई.टी. पार्क/ इंडस्ट्रीयल पार्क में परिवर्त्तित किये गए अंश को निर्धारित सबलीज की शर्त्तों पर सबलीज करने की अनुमति दी जायेगी।
4. पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी इकाई को अन्य प्रक्षेत्र से उत्पाद प्रक्षेत्र में परिवर्त्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 16.05.2013
ह०/–

कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक 3170/D/174/DEV/BIADA/2013 दिनांक 17/05/2013

प्रतिलिपिः मुख्या प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा, पटना/सचिव/कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/विधि परामर्शी, बियाडा पटना/परामर्शी आई० टी० एवं प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/5/13

कार्यकारी निदेशक